

मैं समझता/समझती हूँ कि:

- मेरे लिए काम करना, काम की तलाश करना, और काम के लिए तैयारी करना ज़रूरी है।
- मुझे आवश्यक गतिविधियों में भाग लेना होगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता/करती, तो जब तक मैं यह साबित न कर सकूँ कि मेरे पास एक वैध कारण था तब तक मुझे दंड मिलेगा। यह WorkFirst प्रतिबंध स्थिति में होना कहलाता है।
  - अगर मुझ पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो इसका मतलब है:
    - मेरे अनुदान में 40% या एक व्यक्ति के हिस्से, जो भी अधिक हो, की कमी कर दी जाएगी, या:
    - WorkFirst के साथ फिर से न जुड़ने तक, मैं सहायक सेवाएं प्राप्त नहीं कर सकूँगा/सकूँगी।
  - अगर WorkFirst प्रतिबंध की वजह से मेरी नकद सहायता घटा दी जाती है तो:
    - प्रतिबंध समाप्त करने के लिए मुझे लगातार चार सप्ताह तक अपने IRP का पालन करना होगा।
    - लगातार चार सप्ताह तक ज़रूरी काम करने के बाद, मेरी चार सप्ताह की सहभागिता के अगले महीने की शुरुआत में मेरा प्रतिबंध समाप्त होगा।
    - अगर मैं लगातार दस महीने तक प्रतिबंध में रहूँगा/रहूँगी तो मेरा केस बंद किया जा सकता है।
  - अगर WorkFirst प्रतिबंध की वजह से मेरा केस बंद किया जाता है तो:
    - इससे पहले कि मुझे नकदी प्राप्त हो सके मुझे फिर से आवेदन करने और लगातार चार सप्ताह तक सहभागिता करने की ज़रूरत होगी।
- जब तक मेरे पास सहयोग न करने का कोई वैध कारण न हो तब तक मुझे TANF/SFA लाभ प्राप्त करते हुए डिविज़न ऑफ़ चाइल्ड सपोर्ट (Division of Child Support) के साथ सहयोग करना होगा। सफलतापूर्वक चाइल्ड सपोर्ट प्राप्त करना नकद सहायता की मेरी ज़रूरत को दूर करने में मेरी मदद कर सकता है।
- जब तक मैं किसी एक्सटेंशन के लिए योग्य नहीं हो जाता/जाती तब तक मैं अपने जीवनकाल में केवल 60 महीने के TANF/SFA नकद लाभ प्राप्त कर सकता/सकती हूँ।
- मैं \_\_\_\_\_ महीनों के नकद लाभ इस्तेमाल कर चुका/चुकी हूँ।
- मेरे लिए काम करना, काम की तलाश करना, और काम के लिए तैयारी करना ज़रूरी है। अगर मैं किसी निर्धारित गतिविधि में उपस्थित नहीं हो सकता/सकती, तो मैं नीचे दिए गए नंबर पर उस व्यक्ति को कॉल करूँगा/करूँगी।
- मुझे नीचे निर्दिष्ट की गई समय अवधि के लिए हर सप्ताह निम्न गतिविधियाँ करनी होंगी:

अगर इसका कोई वैध कारण है कि मैं अपनी योजना पर अमल नहीं कर सकता/सकती, तो जितनी जल्दी हो सके मुझे अपने अपने WorkFirst प्रोग्राम स्पेशलिस्ट/सोशल वर्कर से संपर्क करके उसके साथ काम करना होगा। वैध कारणों के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं:

- बीमारी या मेरे बच्चे की देखभाल या परिवहन में अचानक परेशानी की वजह से मुझसे एक अपॉइंटमेंट छूट गई;
- मेरी एक आपातकालीन स्थिति है (शारीरिक, मानसिक, या भावनात्मक);
- मैं पारिवारिक हिंसा का/की शिकार हूँ;
- मैं अपने इलाके में 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए किफ़ायती, उचित बाल देखभाल सेवा नहीं ढूँढ सकता/सकती;
- मेरी एक तत्काल कानूनी समस्या है;
- मेरी असमर्थता या कुछ परिस्थितियाँ हैं और इस वजह से मैं प्रोग्राम की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हूँ; या
- मैं एक गंभीर और पुरानी विकलांगता से पीड़ित वयस्क हूँ;
- ख़ास ज़रूरतों वाले बच्चे या विकलांगता वाले किसी अन्य वयस्क की देखभाल करने के लिए घर पर मेरी ज़रूरत है;
- मेरी उम्र 55 वर्ष या उससे ज़्यादा है और मैं एक बच्चे की देखभाल कर रहा/रही हूँ तथा मैं उस बच्चे की/का माँ/पिता नहीं हूँ; या
- मैं एक DSHS सहायक के पास SSI के लिए आवेदन दे रहा/रही हूँ।

- मैं बेघर हूँ या बेघर बच्चे(बच्चों) की देखभाल कर रहा/रही हूँ।

मैं इस योजना से असहमत हूँ, मेरे पास मामले की समीक्षा और/या प्रशासनिक सुनवाई के लिए अनुरोध करने का अधिकार है। सुनवाई के लिए अनुरोध करने के लिए, मुझे अपने नीचे अपने केस मैनेजर द्वारा हस्ताक्षर करने की तारीख के बाद 90 दिनों के भीतर अपने कम्युनिटी सर्विसेज़ ऑफिस या ऑफिस ऑफ़ ऐड्विनिस्ट्रेटिव हीयरिंग्स, डीएसएचएस, PO Box 42489, Olympia WA 98504-2489, से संपर्क करना होगा। मुझे मेरी व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी योजना की प्रतिलिपि दी गई है। सुनवाई में, मुझे अपना प्रतिनिधित्व करने, किसी वकील या मेरे द्वारा चुने गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का अधिकार है। मैं निम्न तरीकों से Coordinated Legal Education Advice and Referral (CLEAR) से संपर्क करके मुफ्त कानूनी सलाह या प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में सक्षम हो सकता/सकती हूँ:

- <http://nwjustice.org/get-legal-help> पर उनकी साइट पर जाकर;
- अगर मेरी उम्र 60 वर्ष से कम है तो 1-888-201-1014 पर कॉल करके, या
- अगर मेरी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है तो 1-888-387-7111 पर कॉल करके।

केस मैनेजर के हस्ताक्षर	दिनांक	मेरे हस्ताक्षर	दिनांक
जेएस आईडी	केस नंबर	ग्राहक आईडी	

#### गोपनीय आवश्यकताएं

मैं अपनी नौकरी में तरक्की करने, अपनी नौकरी को बरकरार रखने, नौकरी स्वीकार करने, नौकरी ढूँढने, या अपनी योजना पर अमल करने में मदद के लिए सहायता सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम हो सकता/सकती हूँ। अगर मैं सहायता सेवाओं के बारे में किसी फैसले से असहमत हूँ, तो मैं मामले की समीक्षा और/या सुनवाई की मांग कर सकता/सकती हूँ। अगर मुझे इस तरह की सहायता सेवाओं की आवश्यकता है तो मैं अपने WorkFirst प्रोग्राम स्पेशलिस्ट/सोशल वर्कर से पूछूँगा/पूछूँगी:

- |                   |                  |               |                        |
|-------------------|------------------|---------------|------------------------|
| • गाड़ी की मरम्मत | • डायपर्स        | • लाइसेंस/फीस | • माइलेज               |
| • कपड़े           | • शिक्षा का खर्च | • हेयर कट     | • काम करने के लिए साधन |
| • सलाह-मशवरा      | • निजी हार्डजीन  | • बस पास      | • परिवार नियोजन        |

प्रतिबंध के दौरान, अपनी IRP का पालन करना शुरू न करने तक मुझे सहायता सेवाएं (जैसे काम के लिए रकम, कपड़े या परिवहन) नहीं मिल सकतीं।

मैं समझता/समझती हूँ कि, अगर मैं किसी वैध कारण के बिना डिविज़न ऑफ़ चाइल्ड सपोर्ट (Division of Child Support, DCS) के साथ सहयोग करने से इनकार करता/करती हूँ, तो मेरा अनुदान कम कर दिया जाएगा। वैध कारणों में मेरे बच्चों को या मुझे नुकसान पहुँचाने का खतरा शामिल है। मैं समझता/समझती हूँ कि TANF सहायता मिलने के दौरान, एकत्रित की गई कोई भी चाइल्ड सपोर्ट स्टेट को वापस भुगतान करने के लिए रखी जाती है। जब मुझे TANF/SFA मिलना बंद हो जाएगा, तब DCS चाइल्ड सपोर्ट एकत्रित करेगा और तब तक मुझे वह भेजेगा जब तक मैं उन्हें इसे रोकने के लिए न कहूँ। मैं सहायता सेवाओं, प्रतिबंधों, और चाइल्ड सपोर्ट को समझता/समझती हूँ।

केस मैनेजर के हस्ताक्षर	दिनांक	मेरे हस्ताक्षर	दिनांक
-------------------------	--------	----------------	--------